

## अध्याय 11

प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट जिसमें योजनाएं आदि शामिल है।

### [ धारा 4 (1) (बी) (X!)]

प्रत्येक प्राधिकरण के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई योजनाओं कार्यक्रमों और योजनाओं के विवरण के बारे में जानकारी प्रदान करें।

11. विभाग प्रत्येक एजेन्सी को बजट आवंटन का वितरण जिसमें आयोजना मदों में किये गये व्यय का उललेख भी हो तथा भुगतान के संबंध में अपनाई जाने वाले प्रक्रिया का विवरण :-
- विभाग द्वारा किए गए प्रावधान की राशि अधीनस्थ कार्यालयों – संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों को आवंटित कर व्यय की समीक्षा की जाती है।
  - वर्ष 2018-19 से विभिन्न योजनाओं में विभाग के कुल बजट प्रावधान एवं वित्त विभाग से प्राप्त आवंटन का विवरण संलग्न तालिका-1 पर दर्शाया गया है। बजट आवंटन आहरण संवितरण अधिकारियों से प्राप्त आवंटन की मांग एवं उपलब्ध पुर्न आवंटित को दृष्टिगत रखते हुए- पुर्नआवंटित किया जाता है एवं व्यय की समीक्षा की जाकर राशि आवंटित की जाती है।
  - बजट से संबंधित मॉनिटरिंग हेतु निर्देश जारी किये जाते है एवं महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर दर्ज किये गये लेखों का विभागीय लेखों से पुर्न मिलान करने हेतु भी निर्देश संबंधित अधिकारियों को जारी किये जाते है।
  - विभाग द्वारा किये गये वास्तविक व्यय का पुर्न मिलान कोषालयों एवं महालेखाकर कार्यालय में दर्ज व्यय अन्तर पाये जाने पर विभागीय लेखों की वास्तविक स्थिति की मॉनिटरिंग की जाती है।